
परिशिष्ट

पारिशिष्ट-1
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आँकड़े*

क्र.सं.	विवरण		आँकड़े	
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी	
2.	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख	
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.86 लाख	
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी	
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी	
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		11.30 प्रतिशत	
5.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत	
6.	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म)		38	
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15 में अखिल भारतीय औसत = 68.30)		71.80	
8.	एच डी ई मूल्य (2007-08) उत्तराखण्ड		0.49	
	एच डी ई रैंक (2007-08) उत्तराखण्ड		14	
9.	गिनी गुणांक** 2009-10 (यू आर पी)			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)	0.26	
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.36	
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2017-18 चालू मूल्य पर		2,17,609	
11.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)		उत्तराखण्ड	14.70
			विशेष श्रेणी राज्य	13.30
12.	जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)		उत्तराखण्ड	16.30
			विशेष श्रेणी राज्य	14.60
13.	जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)		उत्तराखण्ड	12.90
			विशेष श्रेणी राज्य	11.10

ब. वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर								
विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)					
सी ए जी आर			2008-09 से 2016-17		2012-13 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
			उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए
क	राजस्व प्राप्तियों का		14.15	13.70	12.12	12.40	8.90	10.40
ख	राजस्व कर का		17.28	16.00	14.17	11.90	-6.72	20.00
ग	करेत्तर राजस्व का		8.54	8.30	-4.27	10.60	31.50	8.00
घ	कुल व्यय		14.16	13.70	14.35	12.90	15.41	10.60
ङ	पूँजी व्यय		11.89	7.80	8.75	11.40	19.38	19.60
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय		14.48	16.60	9.53	12.50	20.41	15.80
छ	स्वास्थ्य में राजस्व व्यय		16.80	18.00	15.37	16.20	12.26	20.50
ज	वेतन		13.97	14.70	10.94	9.50	21.06	20.60
झ	पेंशन		18.27	18.80	23.42	12.70	58.77	28.10

*स्रोत: आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।

**गिनी गुणांक जनसंख्या के बीच आय की असमानता की एक माप है। मान की दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है, एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ:पृष्ठ 1)

भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना	
सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।	
भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।	
भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।	
भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खण्ड I	
भाग I - संक्षिप्त विवरण	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण अ. प्रकार्य अनुसार व्यय ब. प्रवृत्ति अनुसार व्यय
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण
विवरण संख्या-6	उधारी एवं अन्य दायित्व का विवरण
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
विवरण संख्या-8	सरकार के निवेशों का विवरण
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण
विवरण संख्या-10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण
विवरण संख्या-11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण संख्या-12	राजस्व लेखा से भिन्न व्यय हेतु निधि का स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
विवरण संख्या-13	संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अधीन शेष का सारांश
खण्ड II	
भाग II - विस्तृत विवरण	
विवरण संख्या-14	लघु शीर्ष से राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-15	लघु शीर्ष से राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-16	लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष से पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-17	लघु शीर्ष से उधारियाँ एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-18	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-19	निवेशों का विस्तृत विवरण

विवरण संख्या-20	सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-22	निवेशों के उद्दिष्ट शेषों का विस्तृत विवरण
भाग III - परिशिष्ट	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-II	सहायिकी पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा प्रदान सहायता (संस्थागत एवं योजनागत)
परिशिष्ट-IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	योजना स्कीम व्यय (अ. केन्द्रीय स्कीम ब. राज्य स्कीम)
परिशिष्ट-VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का सीधा अंतरण (निधियां राज्य बजट के अन्यत्र मार्ग से अंतरित) (गैर-लेखापरीक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	खाता-बही एवं बड़ा चिह्न के शेषों/गैर-समाधित अंतरों की स्वीकृति
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माणकार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	अपूर्ण लोक निर्माण ठेकों पर वचनबद्धता का विवरण(31 मार्च 2018 को)
परिशिष्ट-X	2017-18 में राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण (31 मार्च 2018 को)
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान भविष्य नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के संबंध में निहितार्थ मुख्य नीति-विषयक निर्णयों का विवरण (31 मार्च 2018 को)
परिशिष्ट-XII	भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों का विवरण
परिशिष्ट-XIII	ऐसे मदों का विवरण जिनके लिए राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेष नियतन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

परिशिष्ट-1.2

भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) द्वारा एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) की प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
स रा घ उ की वृद्धि दर	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

*अनन्तिम *त्वरित *अग्रिम

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व})2]*100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{प्रारम्भिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटावसमस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर:1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में एवं चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिसम्बर 2016 में संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणियता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विशेष रूप से राज्य सरकार-

- (क) राज्य राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखेगी। किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें 0.25 प्रतिशत की छूट करने के योग्य होगा, यदि पिछले वर्ष ऋण स रा घ उ 25 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ख) इसके साथ-साथ किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें उधारों की सीमा स रा घ उ की 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त करने के योग्य होगा, यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ग) छूट प्रावधान के अंतर्गत राज्य द्वारा इन दो विकल्पों का लाभ अलग अलग लिया जा सकता है यदि उपरोक्त मानदंड में से कोई भी पूर्ण होता है या एक साथ भी ले सकता है यदि उपरोक्त दोनों मानदंडों को पूर्ण करता है। इस प्रकार राज्य किसी भी दिये वर्ष में स रा घ उ राजकोषीय घाटा की सीमा 3.5 प्रतिशत रख सकता है।
- (घ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (ङ) किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कुल बकाया प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी वर्ष दी जाने वाली नई प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बजटीय)	2017-18 (पुनरीक्षित)	2018-19 (परिलक्षित)	2019-20 (परिलक्षित)	2020-21 (परिलक्षित)	2021-22 (परिलक्षित)
अ. राज्य का राजस्व लेखा							
1. स्वयं का कर राजस्व	10,897.32	13,780.28	13,450.16	14,963.62	17,058.53	19,105.55	21,398.22
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	1,345.82	2,468.71	2,477.24	3,470.51	2,387.56	2,530.81	2,682.66
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	12,243.14	16,248.99	15,927.40	18,434.13	19,446.09	21,636.36	24,080.88
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कोंमें अंश	6,411.55	7,113.48	7,084.97	8,291.23	9,452.00	10,680.76	12,069.26
5. केन्द्रीय सरकार से अनुदान	6,234.27	8,230.61	6,770.61	8,934.64	9,828.10	10,712.63	11,676.77
6. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4+5)	12,645.82	15,344.09	13,855.58	17,225.87	19,280.11	21,393.40	23,746.03
7. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+6)	24,888.96	31,593.08	29,782.98	35,660.00	38,726.19	43,029.76	47,826.91
8. वेतन व्यय	9,570.88	11,859.53	11,212.63	13,765.42	15,279.62	16,960.37	18,826.02
9. पेंशन	3,170.27	4,272.28	4,750.33	5,352.50	6,958.25	9,045.73	11,759.44
10. ब्याज भुगतान	3,723.05	4,409.95	4,178.94	4,906.12	5,627.53	6,398.83	7,271.11
11. उपदान-सामान्य	---	---	---	---	---	---	---
12. उपदान-विद्युत	---	---	---	---	---	---	---
13. ब्याज भुगतान /राजस्व प्राप्ति (10/7)	14.96	13.96	14.03	13.76	14.53	14.87	15.20
14. कुल राजस्व व्यय	25,271.50	31,550.83	29,744.70	35,627.31	38,691.26	42,947.30	47,671.50
15. वेतन+ब्याज+पेंशन (8+9+10)	16,464.20	20,541.76	20,141.90	24,024.04	27,865.39	32,404.93	37,856.57
16. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (15/7)	66.15	65.02	67.63	67.37	71.95	75.31	79.15
17. राजस्व अधिशेष/घाटा (7-14)	-382.54	42.25	38.28	32.69	34.94	82.46	155.41
ब. समेकित राजस्व लेखा							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	-382.54	42.25	38.28	32.69	34.94	82.46	155.41
स. समेकित ऋण							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व*	41,599.75	47,071.18	52,487.79	59,198.13	67,213.74	76,287.90	86,550.04

2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,743.32	1,257.72	1,173.16	1,173.16	1,173.16	1,173.16	1,173.16
द. पूँजीगत लेखा							
1. पूँजीगत परिव्यय	4,954.21	5,514.38	5,551.59	6,583.79	7,900.55	9,006.62	10,267.55
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	165.05	252.35	156.35	191.98	200.00	200.00	200.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	34.85	253.05	253.05	32.74	50.00	50.00	50.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	5,466.95	5,471.43	5,416.61	6,710.34	8,015.61	9,074.16	10,262.14
य. सकल राजकोषीय घाटा (स रा घ)	5,466.95	5,471.43	5,416.61	6,710.34	8,015.61	9,074.16	10,262.14
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,95,606.10	2,19,078.80	2,17,609.50	2,43,722.60	2,72,969.30	3,05,725.60	3,42,412.70
र. राजकोषीय घाटा:							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.00	24.64	11.25	12.00	12.00	12.00	12.00
*इसमें भविष्य निधि की धनराशि समाहित है।							

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3 एवं 1.9.2, पृष्ठ 10 एवं 33)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	17,321	20,247	21,234	24,889	27,105
(i) कर राजस्व	7,356(42)	8,339 (41)	9,377 (44)	10,897 (44)	10,165 (37)
एस जी एस टी	---	---	---	---	1,972 (19)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,903(67)	5,465 (65)	6,105 (65)	7,154 (66)	3,703(37)
राज्य आबकारी	1,269(17)	1,487 (18)	1,735 (19)	1,906 (18)	2,262(22)
वाहनों पर कर	369(5)	394 (5)	471 (5)	556 (5)	816(8)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	687(10)	714 (9)	871 (9)	778 (7)	882(9)
भू-राजस्व	22(--)	39 (--)	28 (--)	160 (1)	24(--)
माल एवं यात्रियों पर कर	---	---	---	---	---
अन्य कर	106(1)	240 (3)	167 (2)	343 (3)	506 (5)
(ii) करेत्तर राजस्व	1,317(8)	1,111 (5)	1,220 (6)	1,346 (5)	1,770 (7)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	3,573(21)	3,792 (19)	5,333 (25)	6,412 (26)	7,085 (26)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,075(29)	7,005 (35)	5,304 (25)	6,234 (25)	8,085 (30)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	180	135	---	---	---
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	55	46	27	35	34
4. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	17,556	20,428	21,261	24,924	27,139
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,873	4,573	6,798	6,501	7,526
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	3,838(99)	4,512 (99)	6,701 (99)	6,355(98)	7,412 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	---	---	---	---	---
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	35(1)	61 (1)	97 (1)	146(2)	114 (2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ(4+5)	21,429	25,001	28,059	31,425	34,665
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	412	332	191	395	105
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	25,954	35,032	37,746	27,855	37,571
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	47,795	60,365	65,996	59,675	72,341
भाग ब. व्यय/संवितरण ¹					
10. राजस्व व्यय	16,216	21,164	23,086	25,272	29,083
आयोजनागत					
राज्य निधि व्यय	2,767(17)	5,632(27)	6,388(28)	6,344(25)	25,570(88)
आयोजनेत्तर					
केंद्रीय सहायता	13,449(83)	15,532(73)	16,698(72)	18,928(75)	3,513(12)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	6,182(38)	7,402(35)	8,410(37)	9,934(39)	12,409(43)
सामाजिक सेवायें	7,298(45)	9,224(44)	9,927(43)	10,529(42)	10,929(37)

¹ वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विभाजित किया जा रहा है।

आर्थिक सेवायें	2,068(13)	3,857(18)	3,983(17)	3,903(15)	4,276(15)	
सहायता अनुदान एवं अंशदान	668(4)	681(3)	766(3)	906(4)	1,469(5)	
11. पूँजीगत व्यय	3,712	4,939	4,217	4,954	5,914	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	3,138(85)	4,780(97)	4,197(100)	4,076(82)	4,274(72)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	574(15)	159 (3)	20(--)	878(18)	1,640(28)
सामान्य सेवायें		138(4)	214(4)	111(3)	72(1)	804(14)
सामाजिक सेवायें		841(22)	1,231 (25)	864 (20)	948 (19)	1,086 (18)
आर्थिक सेवायें		2,733(74)	3,494 (71)	3,242 (77)	3,934 (80)	4,024 (68)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	278	151	83	165	77	
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	20,206	26,254	27,386	30,391	35,074	
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,317	894	1,997	1,128	1,721	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1,266	866	1,966	1,093	1,681	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	---	---	---	---	0	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	51	28	31	35	40	
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	400	150	---	---	-250	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	21,923	27,298	29,383	31,519	36,545	
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	194	194	385	228	482	
18. लोक लेखा संवितरण	25,190	33,535	36,537	26,607	35,366	
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	47,307	61,027	66,305	58,354	72,393	
भाग स.घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)1,105	(-)917	(-)1,852	(-) 383	(-)1,978	
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	2,650	5,826	6,125	5,467	7,935	
22. प्राथमिक घाटा(-)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)	(-)594	(-) 3,420	(-) 3,154	(-) 1,744	(-) 3,948	
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,056	2,406	2,971	3,723	3,987	
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,327	3,515	3,596	3,850	3,664	
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	16	12	9	90	90	
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.09	0.13	0.19	3.84	5.24	
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) [@]	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609	
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	28,767	33,480	39,069	44,583	51,831	
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	1,475	1,832	1,743	1,248*	1,173	
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,513	2,951	2,805	2,805	2,105	

31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	96	141	182	297	260
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)	266	155.71	582.13	1,007.56	631.94
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	1.17	1.30	1.29	1.22	1.29
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.80	0.81	0.84	0.83	0.83
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.40	0.40	0.39	0.38	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.24	0.28	0.26	0.26	0.24
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.18	0.19	0.15	0.16	0.17
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.18	0.18	0.15	0.16	0.15
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	(+) 0.007	(-) 0.006	(-) 0.011	(-) 0.002	(-) 0.009
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	(-) 0.018	(-) 0.036	(-) 0.035	(-) 0.028	(-) 0.036
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	(-) 0.004	(-) 0.021	(-) 0.018	(-) 0.009	(-) 0.018
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(-) 0.417	(+) 0.157	(+) 0.302	(+) 0.070	(+) 0.249
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.006	(-) 0.020	(-) 0.027	(-) 0.021	(-) 0.027
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.19	0.21	0.22	0.23	0.24
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.66	1.65	1.84	1.79	1.91
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्ति (प्रतिशत में)	34.00	19.55	29.38	17.35	22.87
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.30	0.11	5.10	15.21	22.69
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.95	0.93	0.90	0.96	0.94

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

* बदला हुआ प्रपत्र

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

परिशिष्ट-1.4

भाग अ

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 3 एवं 33)

वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विविध मदें	2016-17	2017-18	विविध मदें	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.
खण्ड - अ राजस्व					
I-राजस्व प्राप्तियाँ	24,888.97	27,104.57	I-राजस्व व्यय	25,271.50	29,082.69
(i) कर राजस्व	10,897.31	10,164.93	सामान्य सेवायें	9,934.09	12,408.50
(ii) करेत्तर राजस्व	1,345.82	1,769.53	सामाजिक सेवायें	10,528.57	10,929.44
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	6,411.57	7,084.91	शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	5,366.18	6,454.08
(iv) गैर-योजनागत अनुदान	823.72	714.27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,390.18	1,555.39
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,532.33	1,620.99	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	829.93	619.00
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	3,878.22	4,466.94	सूचना एवं प्रसारण	98.16	40.34
(vii) अन्य अनुदान जी एस टी के लागू होने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	--	1,283.00	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	163.40	246.27
			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	117.40	134.84
			समाज कल्याण एवं पोषण	2,522.78	1,859.91
			अन्य	40.54	19.61
			आर्थिक सेवायें	3,902.66	4,276.21
			कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1,774.58	2,132.20
			ग्राम्य विकास	1,247.79	1,266.40
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	...
			सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	360.22	407.44
			ऊर्जा	18.20	12.08
			उद्योग एवं खनिज	93.25	108.38
			परिवहन	314.81	236.05
			विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण	19.78	20.74
			सामान्य आर्थिक सेवायें	74.03	92.92
			सहायता अनुदान एवं अंशदान	906.18	1,468.54
योग	24,888.97	27,104.57	योग	25,271.50	29,082.69
II- खण्ड ब को अंतरित राजस्व घाटा	382.53	1,978.12	II- खण्ड-ब को अन्तरित राजस्व अधिशेष		
योग	25,271.50	29,082.69	योग	25,271.50	29,082.69

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विविध मदें	2016-17	2017-18	विविध मदें	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	1,464.88	2,785.95	III- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रारम्भिक ओवर ड्राफ्ट	--	--
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	IV- पूँजीगत परिव्यय	4,954.22	5,914.37
			सामान्य सेवाएँ	72.39	804.41
			सामाजिक सेवाएँ	947.61	1,085.67
			शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	434.60	214.60
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	115.97	63.94
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	356.67	755.26
			सूचना एवं प्रसारण	--	---
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8.26	24.65
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	17.70	3.87
			अन्य सामाजिक सेवाएँ	14.41	23.35
			आर्थिक सेवाएँ	3,934.22	4,024.29
			कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	852.99	795.95
			ग्राम्य विकास	841.50	1,236.61
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	---
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	465.45	314.96
			ऊर्जा	132.00	87.00
			उद्योग एवं खनिज	138.63	5.98
			परिवहन	1,385.39	1,525.71
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	118.26	58.08
			योग	4,954.22	5,914.37
V-ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	34.85	33.50	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	165.05	76.83
विद्युत परियोजनाओं से	31.05	30.54	विद्युत परियोजनाओं के लिए	55.42	62.64
सरकारी कर्मचारियों से	2.15	1.97	सरकारी कर्मचारियों को	0.59	0.52
अन्यों से	1.65	0.99	अन्यों को	109.04	13.67
VI-राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	---	---	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	382.53	1,978.12

वित्त लेखे 2016-17 में प्रोफार्मा सुधार किए जाने के कारण 2015-16 के अन्त शेष से भिन्न हैं।

विविध मदें	2016-17	2017-18	विविध मदें	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.
VII-लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,500.67	7,526.08	VII-लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,127.40	1,720.72
अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	6,355.23	7,411.72	अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	1,092.67	1,680.40
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	---	---	ओवर ड्राफ्ट सहित अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	---	---
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	145.44	114.36	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	34.73	40.32
VIII-आकस्मिक निधि को विनियोग	---	---	VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोग	---	(-) 250.00
IX- आकस्मिकता निधि में अंतरित राशि	394.77	104.66	IX- आकस्मिकता निधि से व्यय	227.70	481.50
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,855.02	37,571.25	X- लोक लेखा संवितरण	26,607.34	35,366.30
लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,528.82	1,840.79	लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,116.13	1,221.32
आरक्षित निधियाँ	280.00	232.34	आरक्षित निधियाँ	356.63	127.26
जमा एवं अग्रिम	3,276.70	4,727.47	जमा एवं अग्रिम	3,412.01	4,008.79
उचत एवं विविध	29,078.90	31,936.91	उचत एवं विविध	28,028.62	31,206.55
प्रेषण	(-) 6,309.40	(-)1,166.25	प्रेषण	(-) 6,306.05	(-) 1,197.62
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट	---	---	XI-अंत में रोकड़ शेष	2,785.95	2,733.60
			कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	--
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-) 11.83	(-) 11.51
			रिजर्व बैंक में जमा	1,157.65	1,171.00
			रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	1,640.13	1574.11
योग	36,250.19	48,021.44	योग	36,250.19	48,021.44

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर-1.9.1; पृष्ठ 32)

31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 को	दायित्व	31.03.2018 को
34,555.05	आन्तरिक ऋण-	40,286.37
20,832.21	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	26,662.21
0.07	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.07
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
13,721.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	13,622.59
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
654.54	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	728.58
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
4.52	आयोजनेत्तर ऋण	4.04
649.49	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	724.01
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	---
--	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	---
750.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	500.00
1,058.71	उचत एवं विविध व्यय	1,789.07
6,390.16	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	7,009.63
2,626.08	जमा	3,344.75
1,545.46	आरक्षित निधियाँ	1,650.54
--	प्रेषण शेष	--
47,580.00	योग	55,308.94

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2017 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2018 को
40,274.30	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	46,188.67
3,123.74	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3,209.24
37,150.56	अन्य पूँजीगत परिव्यय	42,979.43
1,726.65	ऋण एवं अग्रिम	1,769.97
132.41	विद्युत् परियोजनाओं के लिए ऋण	164.50
1,606.16	अन्य विकास ऋण	1,618.84
(-) 11.92	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 13.37
319.45	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूर्ति)	446.28
644.76	प्रेषण	613.39
--	उचंत एवं विविध शेष	--
0.42	विभागीय अधिकारी के अग्रिम	0.42
2,785.95	रोकड़	2,733.60
--	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--
1,157.65	रिजर्व बैंक में जमा	1,171.00
(-) 11.02	विभागीय रोकड़ शेष	(-)10.70
(-) 0.81	स्थायी अग्रिम	(-) 0.81
1,640.13	रोकड़ शेष निवेश	1,574.11
1,828.47	सरकारी लेखों में घाटा	3,556.59
2,793.06	घटायें (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अनिर्धारित शेषों के बटवारे के कारण प्रोफॉर्मा में बदलाव)	--
	i. घटायें -चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को	--
382.53	ii. जोड़े -चालू वर्ष के राजस्व घाटा को	1,978.12
--	iii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	(-) 250.00
--	iv. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	--
4,239.00	v. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	1,828.47
47,580.00	योग	55,308.92

परिशिष्ट-1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा।

परिशिष्ट-1.4 में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे या मूल्य हास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। "रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 1,168.24 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर-1.8.3; पृष्ठ 29)

विकासीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	माध्य सरकारी पूँजी	मूल्यहासित लागत पर अवरुद्ध परिसंपत्तियाँ	वर्ष के दौरान उपबंधित मूल्यहास	आवर्त	कुल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खंड, रुड़की	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	-	22.33	25.16	20,991.81	(-) 10,791.29	-	(-) 10,791.29	-
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	-	13.00	1.37	14,297.23	(-) 2,786.73	-	(-) 2,786.73	-

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्ययाधिक्य (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य की प्रतिशतता
पूँजीगत (भारित)						
1.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	26,40.23	76,51.62	50,11.39	1,89.81
पूँजीगत (दत्तमत)						
2.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	23.03	26.75	3.72	16.15
3.	20	सिंचाई एवं बाढ़	2,92.18	3,37.88	45.70	15.64
4.	22	लोक निर्माण	13,69.20	13,95.28	26.08	1.90
5.	25	खाद्य	19.27	13,41.66	13,22.39	68,62.43
6.	27	वन	53.95	57.56	3.61	6.69
योग			43,97.86	1,08,10.75	64,12.89	1,45.82

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 55)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें, ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान (पूँजीगत-दत्तमत)	18.03	5.00	23.03	26.75	3.72
2.	20	सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत-दत्तमत)	2,84.98	7.20	2,92.18	3,37.88	45.70
3.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	12,44.20	1,25.00	13,69.20	13,95.28	26.08
4.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	18.27	1.00	19.27	13,41.66	13,22.39
योग			15,65.48	1,38.20	17,03.68	31,01.57	13,97.89

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.5; पृष्ठ 55)

कुल व्यय का अंतिम तिमाही (जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक) में 50 प्रतिशत या मार्च 2018 में 25 प्रतिशत से अधिक व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष योजना/ सेवा	जनवरी-मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय (अप्रैल से मार्च 2018)	निम्न माह के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					मार्च 2018	जनवरी-मार्च 2018
1.	2030	10.67	8.67	22.08	39.27	48.32
2.	2040	1,11.94	95.83	1,88.08	50.95	59.52
3.	2215	1,33.08	1,04.80	4,14.32	25.29	32.12
4.	2216	1.35	0.83	2.37	35.02	56.96
5.	2225	1,71.73	91.66	2,46.23	37.23	69.74
6.	2245	1,87.34	1,59.32	4,08.97	38.96	45.81
7.	2250	12.26	6.35	18.94	33.53	64.73
8.	2251	0.52	0.19	0.67	28.36	77.61
9.	2404	24.01	10.70	41.57	25.74	57.76
10.	2405	8.60	5.85	15.96	36.65	53.88
11.	2408	1,48.12	28.05	1,73.37	16.18	85.44
12.	2425	40.30	25.68	62.03	41.40	64.97
13.	2701	10.74	9.64	14.20	67.89	75.63
14.	2711	3.71	3.43	4.90	70.00	75.71
15.	2801	0.22	0.20	0.29	68.97	75.86
16.	2851	51.37	34.79	99.10	35.11	51.84
17.	3055	16.03	11.66	38.21	30.52	41.95
18.	3452	42.84	16.46	57.97	28.39	73.90
19.	4055	8.20	6.71	14.34	46.79	57.18
20.	4202	1,58.06	1,11.29	2,14.60	51.86	73.65
21.	4210	52.02	27.37	63.94	42.81	81.36
22.	4216	15.90	10.10	19.47	51.87	81.66
23.	4225	23.03	17.97	24.65	72.90	93.43
24.	4235	3.59	3.40	3.87	87.86	92.76
25.	4250	9.13	7.63	23.35	32.68	39.10
26.	4401	8.81	1.98	3.37	58.75	2,61.42
27.	4403	0.97	0.80	0.97	82.47	1,00.00
28.	4405	2.67	2.66	2.67	99.63	1,00.00
29.	4406	45.79	34.67	57.87	59.91	79.13
30.	4702	32.24	14.07	32.32	43.53	99.75
31.	4801	56.51	36.83	87.01	42.33	64.95
32.	4851	3.42	2.05	3.42	59.94	1,00.00
33.	5055	23.44	20.84	24.92	83.63	94.06
योग		14,18.61	9,12.48	23,86.03	38.24	59.45

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.1; पृष्ठ 56)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क-राजस्व (दत्तमत)					
1.	04- न्यायिक प्रशासन	1,52.55	1,44.35	8.20	11.18
2.	05- निर्वाचन	43.80	41.13	2.67	0.55
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	17,33.14	9,29.37	8,03.77	19.52
4.	08- आबकारी	23.04	22.82	0.22	2.37
5.	11-शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	63,91.32	62,30.77	1,60.55	2,78.86
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17,99.45	14,41.16	3,58.30	1,51.88
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,51.69	5,84.16	67.53	1,03.72
8.	15-कल्याण	13,75.19	11,72.14	2,03.05	1,21.78
9.	19-ग्रामीण विकास	11,75.13	6,54.44	5,20.69	37.13
10.	20-सिंचाई एवं बाढ़	4,40.66	4,07.62	33.04	3.54
11.	22-लोक निर्माण	6,92.13	6,41.84	50.29	13.33
12.	23- उद्योग	1,59.30	1,40.44	18.86	24.16
13.	24-परिवहन	51.95	49.59	2.36	7.08
14.	25- खाद्य	2,34.36	1,82.35	52.01	3.35
15.	27- वन	6,21.70	5,50.89	70.81	12.10
16.	28-पशुपालन	2,50.49	2,38.50	11.99	10.33
17.	29-उद्यान विकास	2,55.29	2,15.63	39.66	15.82
18.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	8,57.27	7,61.09	96.18	1,48.94
19.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2,77.61	2,25.08	52.53	37.82
कुल राजस्व (दत्तमत)		1,71,86.07	1,46,33.37	25,52.70	10,03.46
ख - राजस्व (भारित)					
1.	02-राज्यपाल	10.28	8.22	2.06	0.12
2.	04- न्यायिक प्रशासन	36.02	32.22	3.80	3.40
3.	07- वित्त,कर,योजनाएँ,सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	46,33.83	39,88.18	6,45.65	0.50
4.	09-लोक सेवा आयोग	23.88	14.37	9.51	0.60
कुल राजस्व (भारित)		47,04.01	40,42.99	6,61.02	4.62
ग-पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	7,08.40	5,82.75	1,25.65	20.50
2.	07-वित्त,कर,योजनाएँ,सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,47.00	1,89.58	2,57.41	5.00
3.	11-शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	2,42.14	1,65.17	76.97	35.00
4.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,23.85	63.94	59.91	22.70
5.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,42.81	6,37.51	5.30	1,88.19
6.	21.उर्जा	3,26.00	1,42.33	1,83.67	13.00
7.	23- उद्योग	52.83	5.98	46.85	10.91
8.	26- पर्यटन	62.30	58.08	4.22	1.00
9.	28-पशुपालन	7.34	3.64	3.70	0.50
10.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,63.25	2,44.35	18.90	42.99
11.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	89.46	72.52	16.94	19.71
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		29,65.38	21,65.85	7,99.52	3,59.50
महायोग		2,48,55.46	2,08,42.21	40,13.24	13,67.58

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.2; पृष्ठ 56)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	दत्तमत/भारित	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/बचत(-)
1.	04	न्यायिक प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	2014-00-105-03	(+)300.00	(-)882.20
			राजस्व-दत्तमत	2014-00-105-04	(-)40.00	(-)244.48
			राजस्व-दत्तमत	2014-00-108-03	(-)260.00	(-)146.73
2.	05	निर्वाचन	राजस्व-दत्तमत	2015-00-103-05	(+)26.84	(+)51.00
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	2070-00-107-03	(-)67.00	(-)1747.00
			राजस्व-दत्तमत	2070-00-107-04	(+)67.00	(-)68.36
			राजस्व-दत्तमत	2245-80-102-02	(-)8.00	(-)2137.87
4.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	राजस्व-दत्तमत	2030-01-101-03	(+)151.00	(+)58.06
			राजस्व-दत्तमत	2030-02-101-03	(-)179.50	(-)44.25
			राजस्व-दत्तमत	2030-03-001-03	(+)28.50	(-)49.12
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-001-03	(+)34.00	(-)135.77
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-101-03	(+)367.00	(-)456.32
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-800-05	(-)401.00	(-)181.23
			राजस्व-दत्तमत	2049-60-701-03	(+)25.00	(-)21.73
			राजस्व-दत्तमत	2049-60-701-05	(-)25.00	(-)3475.00
			राजस्व-दत्तमत	2054-00-095-03	(+)18.50	(-)30.75
			राजस्व-दत्तमत	2054-00-097-03	(-)18.50	(-)239.91
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-192-03	(+)1400.00	(+)430.19
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-193-03	(-)1400.00	(-)611.60
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-193-04	(-)1300.00	(-)13428.32
			राजस्व-दत्तमत	3604-02-198-03	(+)1300.00	(-)81.48
			पूँजीगत-दत्तमत	4216-02-800-16	(-)1.00	(-)49.00
			पूँजीगत-दत्तमत	6003-00-111-03	(-)1971.00	(-)10585.65
5.	10	पुलिस एवं कारागार	राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-03	(-)267.31	(-)86.30
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-04	(+)194.54	(-)486.29
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-05	(-)1.75	(-)16.05
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-06	(-)12.30	(-)43.47
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-10	(-)34.65	(-)51.36
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-003-04	(+)8.50	(-)36.13
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-03	(-)40.09	(-)467.65
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-04	(-)20.60	(-)115.94
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-05	(+)8.50	(-)36.71
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-03	(-)478.42	(-)662.92
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-04	(-)104.70	(-)150.38
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-05	(-)2.10	(-)12.85
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-108-04	(-)265.57	(-)108.45
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-03	(+)491.45	(-)3198.77
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-04	(+)110.67	(-)47.13

			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-05	(+)248.59	(-)160.00
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-07	(+)28.78	(-)21.81
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-111-03	(+)172.00	(-)20.18
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-113-04	(-)4.42	(-)51.99
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-116-03	(-)0.50	(-)28.83
6.	11	शिक्षा ,खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व-दत्तमत	2202-01-101-01	(+)1828.68	(-)1592.68
			राजस्व-दत्तमत	2202-01-101-04	(-)1600.68	(-)19969.17
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-101-04	(+)254.00	(-)79.01
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-03	(-)368.00	(-)9401.56
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-07	(+)686.12	(-)130.97
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-16	(-)850.12	(-)437.81
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-19	(+)24.80	(-)24.48
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-110-04	(-)101.24	(-)417.29
			राजस्व-दत्तमत	2202-03-103-03	(-)1063.74	(-)317.93
			राजस्व-दत्तमत	2202-03-103-04	(+)206.74	(-)322.56
			राजस्व-दत्तमत	2202-03-104-03	(+)857.00	(-)63.76
			राजस्व-दत्तमत	2204-00-104-21	(+)3.66	(-)10.00
			राजस्व-दत्तमत	2205-00-001-03	(+)64.40	(-)47.82
			पूँजीगत-दत्तमत	4202-01-203-03	(-)6.14	(-)14.83
			7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व-दत्तमत
राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-03	(+)10.84				(-)111.49
राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-04	(+)1.50				(-)22.60
राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-08	(-)1128.98				(-)859.75
राजस्व-दत्तमत	2210-02-102-04	(+)20.36				(-)19.53
राजस्व-दत्तमत	2210-04-102-03	(-)20.36				(-)46.86
पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-10	(-)156.95				(-)43.05
पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-17	(+)50.00				(-)69.22
			पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-23	(+)100.00	(-)100.00

परिशिष्ट-2.6 (अ)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.3; पृष्ठ 56)

वर्ष 2017-18 के दौरान दत्तमत से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	01-विधायिका	4059-80-051-02	20.00	18.67	93.35
2.	03-मंत्रियों का समूह	2013-00-101-03	5,70.00	3,67.70	64.51
		2013-00-101-04	35.00	20.96	59.89
		2013-00-108-03	2,00.00	83.84	41.92
3.	05-चुनाव	2015-00-105-03	0.10	0.10	1,00.00
		2015-00-105-04	0.10	0.10	1,00.00
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2070-00-107-01	2,00.04	2,00.04	1,00.00
		2070-00-107-06	40.05	40.05	1,00.00
		2070-00-107-11	0.09	0.09	1,00.00
		4059-60-051-12	2,50.00	249.11	99.64
5.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	2052-00-090-11	26.82	18.61	69.39
		2052-00-090-13	26.00	26.00	1,00.00
		2052-00-091-04	1,15.58	54.79	47.40
		2052-00-091-10	1,12.39	56.59	50.35
		2052-00-091-11	7.25	4.02	55.45
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-02-800-25	29.50	12.38	41.97
		2204-00-001-06	20.00	20.00	1,00.00
		2204-00-001-17	6.00	5.62	93.67
		2204-00-104-03	5.00	5.00	1,00.00
		2204-00-104-07	60.00	45.01	75.02
		2204-00-104-11	65.00	26.92	41.42
		2204-00-104-12	50.00	46.70	93.40
		2204-00-104-14	15.00	15.00	1,00.00
		2204-00-104-15	15.00	4.90	32.67
		2204-00-104-29	4.00	4.00	1,00.00
		2204-00-104-30	50.00	44.00	88.00
		2204-00-104-31	10.00	10.00	1,00.00
		2204-00-104-33	30.00	30.00	1,00.00
		2204-00-104-34	10.00	10.00	1,00.00
		2204-00-104-36	20.00	20.00	1,00.00
		4202-01-202-01	55,10.03	20,00.01	36.30
4202-01-800-31	50.00	50.00	1,00.00		
7.	14- सूचना	2220-01-105-03	4,92.57	1,56.04	31.69
		2220-01-105-06	50.00	33.98	67.96
		2220-60-103-04	1.00	0.40	40.00
8.	15-कल्याण	2250-00-800-17	10.00	4.30	43.00

9.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	2401-00-001-01	1,71,15.02	52,75.71	30.83
		2415-80-120-05	1,00.00	1,00.00	1,00.00
		2415-80-120-08	55.00	55.00	1,00.00
		2415-80-120-11	80.00	80.00	1,00.00
		2415-80-120-12	80.00	80.00	1,00.00
		2415-80-120-14	50.00	22.40	44.80
		2415-80-120-16	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-17	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-18	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-19	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-20	60.50	51.33	84.84
		2415-80-120-21	60.00	54.54	90.90
		2415-80-120-22	60.00	60.00	1,00.00
		2415-80-120-24	12.00	8.00	66.67
		4401-00-800-07	50.00	50.00	1,00.00
		4401-00-800-08	5,00.00	5,00.00	1,00.00
		6401-00-109-12	0.01	0.01	1,00.00
10.	22-लोक निर्माण	2059-80-001-05	11,50.00	3,73.40	32.47
		3054-01-337-01	30,00.01	18,97.09	63.24
		5054-05-337-03	5,00.00	5,00.00	1,00.00
		5054-80-190-03	2,00.00	2,00.00	1,00.00
11.	28- पशुपालन	2403-00-101-01	9,50.83	3,40.38	35.80
		2403-00-104-05	2.52	2.52	1,00.00
		2403-00-106-15	25.00	25.00	1,00.00
		2403-00-107-01	1,40.00	1,40.00	1,00.00
		2403-00-107-05	2.82	2.82	1,00.00
		4403-00-101-01	40.02	23.37	58.40
		4403-00-101-09	1,50.00	1,50.00	1,00.00
		4403-00-101-10	1,50.00	69.68	46.45
		4403-00-102-02	50.00	50.00	1,00.00
		4405-00-001-03	25.00	25.00	1,00.00
		4405-00-101-01	2,69.39	1,02.51	38.05
12.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2403-00-101-01	281.95	2,30.15	81.63
		2403-00-104-01	0.01	0.01	1,00.00
		2403-00-104-02	8.33	8.33	1,00.00
		2403-00-106-02	5,56.50	2,07.58	37.30
		2403-00-107-01	71.33	71.33	1,00.00
		2403-00-113-01	0.01	0.01	1,00.00
		4403-00-101-01	0.01	0.01	1,00.00
		4403-00-101-02	0.01	0.01	1,00.00
13.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2401-00-114-01	5.00	2.02	40.40
		2405-00-796-03	60.00	25.21	42.02
		4403-00-101-04	25.00	25.00	1,00.00
		5054-04-796-01	30.00	29.70	99.00
योग			3,43,02.79	14,8,03.05	43.15

परिशिष्ट-2.6 (ब)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.3; पृष्ठ 56)

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभारित विनियोग से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	02- राज्यपाल	2012-03-101-03	15.50	7.70	49.68
		2012-03-103-04	0.10	0.10	1,00.00
		2012-03-103-05	0.10	0.10	1,00.00
		2012-03-105-03	51.88	16.84	32.46
2.	22- लोक निर्माण	2059-01-053-03	3,50.00	1,10.85	31.67
योग			4,17.58	1,35.59	32.47

परिशिष्ट-2.7
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.4; पृष्ठ 56)
वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	01- विधायिका	43.65	0.46	0.47	0.01
2.	03- मंत्रियों का समूह	64.30	11.99	12.08	0.09
3.	14- सूचना	43.46	3.30	3.35	0.05
योग		1,51.41	15.75	15.90	0.15

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 57)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
1.	04	न्यायिक प्रशासन (राजस्व-भारित)	39.42	32.22	7.20
2.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	46,34.33	39,88.18	6,46.15
3.		वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-दत्तमत)	4,52.00	1,89.59	2,62.41
4.	09	लोक सेवा आयोग (राजस्व - भारित)	24.48	14.37	10.11
5.	10	पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत - दत्तमत)	26.50	18.07	8.43
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व - दत्तमत)	19,51.34	14,41.16	5,10.18
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत - दत्तमत)	1,46.55	63.94	82.61
7.	13	जलपूर्ति, आवास, एवं शहरी विकास (पूँजीगत - दत्तमत)	8,31.00	6,37.51	1,93.49
8.	15	कल्याण (पूँजीगत - दत्तमत)	64.55	20.54	44.01
9.	16	श्रम एवं रोजगार (राजस्व- दत्तमत)	2,37.85	2,18.79	19.06
10.	19	ग्रामीण विकास (पूँजीगत- दत्तमत)	11,83.16	11,28.00	55.16
11.	20	सिंचाई एवं बाढ़ (राजस्व- दत्तमत)	4,44.20	4,07.62	36.58
12.	21	ऊर्जा (पूँजीगत- दत्तमत)	3,39.00	1,42.33	1,96.67
13.	23	उद्योग (राजस्व-दत्तमत)	1,83.45	1,40.44	43.01
14.		उद्योग (पूँजीगत-दत्तमत)	63.74	5.98	57.76
15.	24	परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	59.03	49.59	9.44
16.		परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	1,52.13	1,32.90	19.23
17.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,37.71	1,82.35	55.36
18.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	66.77	58.37	8.40
		पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	63.30	58.08	5.22
19.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	6,33.80	5,50.89	82.91
20.	29	उद्यान विकास (राजस्व-दत्तमत)	2,71.11	2,15.63	55.48
योग			1,21,05.42	96,96.55	24,08.87

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 57)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
राजस्व-दत्तमत				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	19.38	0.53	18.85
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	8,23.29	2.53	8,20.76
3.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,26.15	5.79	2,20.36
4.	08- आबकारी	2.59	0.00	2.59
5.	10- पुलिस एवं कारागार	73.90	2.25	71.65
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	4,39.41	8.55	4,30.86
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,10.18	0.00	5,10.18
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,71.25	0.27	1,70.98
9.	15-कल्याण	3,24.83	1.05	3,23.78
10.	16-श्रम एवं रोजगार	19.06	0.00	19.06
11.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	64.05	42.03	22.02
12.	18-सहकारी	2.84	0.00	2.84
13.	19-ग्रामीण विकास	5,57.81	0.52	5,57.29
14.	20-सिंचाई एवं बाढ़	36.58	0.00	36.58
15.	22-लोक निर्माण	63.62	47.68	15.94
16.	23- उद्योग	43.01	0.00	43.01
17.	24-परिवहन	9.43	0.00	9.43
18.	25- खाद्य	55.36	0.00	55.36
19.	26- पर्यटन	8.40	0.00	8.40
20.	27- वन	82.90	0.00	82.90
21.	28-पशुपालन	22.33	19.02	3.31
22.	29-उद्यान विकास	55.47	0.00	55.47
23.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,45.12	8.14	2,36.98
24.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	90.34	5.24	85.10
योग		39,47.30	1,43.60	38,03.70
राजस्व-भारित				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	7.20	0.00	7.20
2.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,46.15	0.00	6,46.15
3.	09-लोक सेवा आयोग	10.11	0.00	10.11
4.	22-लोक निर्माण	3.95	1.24	2.71
योग		6,67.41	1.24	6,66.17
पूँजीगत-दत्तमत				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	3.76	0.00	3.76
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,46.15	2.49	1,43.66
3.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,62.41	0.00	2,62.41
4.	10-पुलिस एवं कारागार	8.43	0.00	8.43

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

5.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	1,11.97	5.79	1,06.18
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	82.61	0.00	82.61
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,93.49	0.00	1,93.49
8.	15-कल्याण	44.01	0.00	44.01
9.	16-श्रम एवं रोजगार	3.54	0.00	3.54
10.	18-सहकारिता	4.69	0.00	4.69
11.	19-ग्रामीण विकास	55.16	0.00	55.16
12.	21-ऊर्जा	1,96.67	0.00	1,96.67
13.	23-उद्योग	57.77	0.00	57.77
14.	24-परिवहन	19.23	0.00	19.23
15.	26-पर्यटन	5.22	0.00	5.22
16.	29-उद्यान विकास	1.46	0.00	1.46
17.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	61.89	1.29	60.60
18.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	36.65	1.49	35.16
योग		12,95.11	11.06	12,84.05
पूँजीगत-भारित				
1.	09-लोक सेवा आयोग	3.00	0.00	3.00
योग		3.00	0.00	3.00
महायोग		59,12.82	1,55.90	57,56.92

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 57)

30/31 मार्च 2018 को दत्तमत अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2013-मंत्रियों का समूह	64.30	12.08	18.79
2.	17	2401-कृषि कर्म	6,93.73	21.75	3.14
		2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2,07.58	20.28	9.77
3.	22	2059-लोक निर्माण	4,73.90	16.78	3.54
		3054-सड़क तथा सेतु	2,29.46	30.43	13.26
		5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	13,66.00	48.69	3.56
4.	28	2403-पशुपालन	2,02.32	16.49	8.15
योग			32,37.29	1,66.50	5.14

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.6; पृष्ठ 57)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत					
1.	03	मंत्री परिषद	64.30	11.99	18.65
2.	04	न्यायिक प्रशासन	1,63.72	19.38	11.84
3.	05	चुनाव	44.35	3.22	7.26
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	17,52.67	8,23.29	46.97
5.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	76,29.63	2,26.15	2.96
6.	08	आबकारी	25.41	2.59	10.19
7.	10	पुलिस एवं कारागार	17,34.49	73.90	4.26
8.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	66,70.18	4,39.41	6.59
9.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19,51.34	5,10.18	26.15
10.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	7,55.41	1,71.25	22.67
11.	14	सूचना	43.46	3.30	7.59
12.	15	कल्याण	14,96.97	3,24.83	21.70
13.	16	श्रम एवं रोजगार	2,37.85	19.06	8.01
14.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	9,01.30	64.05	7.11
15.	18	सहकारिता	62.07	2.84	4.58
16.	19	ग्रामीण विकास	12,12.25	5,57.81	46.01
17.	20	सिंचाई व बाढ़	4,44.20	36.58	8.24
18.	22	लोक निर्माण	7,05.46	63.62	9.02
19.	23	उद्योग	1,83.45	43.01	23.45
20.	24	परिवहन	59.03	9.43	15.97
21.	25	खाद्य	2,37.71	55.36	23.29
22.	26	पर्यटन	66.77	8.40	12.58
23.	27	वन	6,33.80	82.90	13.08
24.	28	पशुपालन	2,60.82	22.33	8.56
25.	29	उद्यान विकास	2,71.11	55.47	20.46
26.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	10,06.21	2,45.12	24.36
27.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	3,15.42	90.34	28.64
योग			2,89,99.44	39,66.99	13.68
राजस्व-भारित					
1.	01	विधायिका	2.39	1.00	41.84
2.	02	राज्यपाल	10.40	2.18	20.96
3.	04	न्यायिक प्रशासन	39.42	7.20	18.26
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2.39	0.51	21.34
5.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	46,34.33	6,46.15	13.94
6.	09	लोक सेवा आयोग	24.48	10.11	41.30
7.	22	लोक निर्माण	7.30	3.95	54.11
योग			47,20.71	6,71.10	2,11.75

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	03	मंत्री परिषद	25.00	1.28	5.12
2.	04	न्यायिक प्रशासन	18.50	3.76	20.32
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	728.90	146.15	20.05
4.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	452.00	262.41	58.06
5.	10	पुलिस एवं कारागार	26.50	8.43	31.81
6.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	277.14	111.97	40.40
7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	146.55	82.61	56.37
8.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	831.00	193.49	23.28
9.	15	कल्याण	64.55	44.01	68.18
10.	16	श्रम एवं रोजगार	14.25	3.54	24.84
11.	18	सहकारिता	6.25	4.69	75.04
12.	19	ग्रामीण विकास	1183.16	55.16	4.66
13.	21	ऊर्जा	339.00	196.67	58.01
14.	23	उद्योग	63.74	57.77	90.63
15.	24	परिवहन	152.13	19.23	12.64
16.	26	पर्यटन	63.30	5.22	8.25
17.	28	पशुपालन	7.84	4.21	53.70
18.	29	उद्यान विकास	8.00	1.46	18.25
19.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	306.24	61.89	20.21
20.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	109.17	36.65	33.57
योग			4823.22	1300.60	26.97
पूँजीगत-भारित					
1.	09	लोक सेवा आयोग	3.00	3.00	1,00.00
योग			3.00	3.00	1,00.00
महायोग			3,85,46.37	59,41.69	15.41

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 67)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2017-18 के दौरान आहरित अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2018 तक) जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	आकस्मिक निधि से अग्रिम	अप्रतिपूर्ति (अगस्त 2018)
1.	01-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	2011	1.96	1.96
2.	04- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	4059	10.00	10.00
3.	06- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	2245	4.86	4.86
4.	07- विक्री, व्यापार आदि पर कर	2040	0.01	0.01
5.	07- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	2052	6.08	6.08
6.	07- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	4216	3.96	3.96
7.	10- पुलिस	2055	2.54	2.54
8.	11- सामान्य शिक्षा	2202	25.94	25.94
9.	11-खेल कूद तथा युवा सेवार्ये	2204	0.07	0.07
10.	12-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2210	0.32	0.32
11.	12- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	4210	1.90	1.90
12.	14- सूचना तथा प्रचार	2220	24.96	24.96
13.	15-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2235	0.90	0.90
14.	17-कृषि कर्म	2401	0.93	0.93
15.	20- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4700	12.00	12.00
16.	20- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4711	1.50	1.50
17.	22- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5054	1,12.33	1,12.33
18.	30- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	0.06	0.06
19.	30- पशुपालन	2403	0.56	0.56
20.	30- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	4215	3.83	3.83
21.	31- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	0.79	0.79
22.	31- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5054	16.00	16.00
योग			2,31.50	2,31.50

स्रोत:महालेखाकर (ले. एवं ह.), उत्तराखण्ड के वीएलसी आँकड़ों से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 67)

वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्ति रहा (अगस्त 2018 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	प्रतिपूर्ति न हुई आकस्मिक निधि	
		2016-17	योग
1.	2013	5.00	5.00
2.	2014	0.05	0.05
3.	2205	1.33	1.33
4.	2210	4.33	4.33
5.	2215	1.71	1.71
6.	2217	1.33	1.33
7.	2245	1.77	1.77
8.	2401	2.50	2.50
9.	2405	0.01	0.01
10.	2406	13.12	13.12
11.	2851	32.78	32.78
12.	2853	0.10	0.10
13.	3452	1.00	1.00
14.	3054	0.27	0.27
15.	4059	11.15	11.15
16.	4210	2.00	2.00
17.	4405	0.15	0.15
18.	5054	77.74	77.74
योग		1,56.34	1,56.34

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7 (अ); पृष्ठ 68)

वर्ष 2017-18 तक के लम्बित डी सी बिल (31मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	मुख्य शीर्ष	ए सी बिलों की संख्या	राशि
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	2210	03	3.00
2.	संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, देहरादून	2403	02	0.70
3.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, उत्तरकाशी	2015	04	8.13
4.	पंचायती राज (चुनाव), पिथौरागढ़	2515	03	34.51
5.	मुख्य परिवीक्षाधीन अधिकारी, महिला कल्याण, देहरादून	2235	01	0.05
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पिथौरागढ़	2235	01	2.63
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, अल्मोड़ा	2235	02	9.84
योग			16	58.86

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 75)

उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अलग से प्रत्येक वर्ष के लिये मुख्य शीर्ष एवं विभागवार विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	डी डी ओ का नाम	वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2008-09	12	2.80
		जिला समाज कल्याण अधिकारी			
		कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका			
2.	उपलब्ध नहीं	जिला मजिस्ट्रेट	2009-10	4	0.81
		जिला पंचायती राज अधिकारी			
3.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2012-13	2	2.05
4.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2013-14	7	10.21
		कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत			
		जिला मजिस्ट्रेट			
		कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका			
5.	3604 एवं 2215	जिला मजिस्ट्रेट	2014-15	24	80.51
6.	3604	जिला मजिस्ट्रेट	2015-16	14	27.24
7.	3604	जिला मजिस्ट्रेट	2016-17	39	41.30
		जिला पंचायती राज अधिकारी			
		उपनिदेशक, एस. वी. एन.			
8.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2017-18	107	178.12
		कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत			
		कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका			
		प्रशासक, नगर निगम			
		कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका			
		व. वित्त अधिकारी, नगर निगम			
कुल (दिनांक 31.03.2018 को)				209	343.04

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 77)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुड़की	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

परिशिष्ट-4.1

शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्वयता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत (रा ल ब) निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण के समर्थन हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पादवृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पादअनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पादअनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पादअनुपात गिरेगा।

9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।